



न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर १०० प्र०

Rs. 30/-



1:- अभिराज दुबे तनय रामसुमिरन दुबे

2:- रामसुमिरन दुबे तनय रामप्रताप दुबे,

अधिवक्ता धितेश पाठक
बारापेठा/27-02-18

दोनो निवासी ग्राम चौडियार तहसील गुढ जिला रीवा म.प्र.

----- पुनरीक्षण कर्ता

[Handwritten signature]

बनाम

कलकत्ता आफ कोर्ट
गुढ जिला रीवा म.प्र.

- 1:- जगदीश प्रसाद दुबे
- 2:- सुरेश प्रसाद दुबे
- 3:- रविन्दन प्रसाद दुबे सभी पुत्रगण सर्व 0 रामप्रताप दुबे

सभी निवासी ग्राम चौडियार तह 0 गुढ जिला रीवा म.प्र.

---- गैर पुनरीक्षणकर्तागण

पुनरीक्षण विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् अनु-
अधिकारी महोदय तह 0 गुढ जिला रीवा द्वारा

प्र. क्र. 03/अ-6/14-15 मे पारित आदेश दि 0

10-1-18

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म 0 प्र 0 र 0 सं 0
1959 ई 0।

मान्यवर,

पुनरीक्षण के आधार निम्न लिखित है :-

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

करण क्रमांक II/निग0/रीवा/भू-रा0/2018/01462

जिला-रीवा

अभिराम दुबे/जगदीश प्रसाद दुबे

| (1) | (2) | (3) |
|----------|--|---|
| 23.04.19 | <p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री चितेन्द्र पाठक उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, तहसील गुढ के प्रकरण क्रमांक 03/अ-6/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 10.01.2018 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 04.07.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: center;">M</p> <p style="text-align: right;">  (बी.एम.शर्मा), सदस्य </p> | <p style="text-align: right;">  </p> |